

29.5.24

पत्रावली पेश हुई। वकील परामार
उपस्थित। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 कि
ओर से ऐडवोकेट इन्दुमात यादव
ने ब्याकलगा प्रस्तुत किया। पत्रावली
वास्तु जवाब प्रार्थीगण दि. 25.5.24
को पेश हुई।
S D D


25.06.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान
उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब
पत्र पेश किया। बयान सुनी गयी।
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्रथमदृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन
की दृष्टि से प्रार्थीगण के पक्ष में है।
ऐसे में रिकॉर्ड व मांके की स्थिति में
परिवर्तन करने पर वाद विविधता
बढ़ेगी। अतः दोनों पक्षों को पाबंद
किया जाता है कि मूल वाद के निरंतरण

३

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

तक मौजा ग्रन्थिया में स्थित वादग्रस्त भूमि में
मौके व रिकॉर्ड की स्पष्टता बताने लें।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर खोलन मुल
वाद रहे।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा